

पत्रावली 30/08/2023 (पत्रावली) सि.म  
 सि.म व/3 रा.डी.ल  
 प्राप्ति 12/2023

<p>पत्रावली</p>	<p>पत्रावली 30/08/2023 (पत्रावली) सि.म          सि.म व/3 रा.डी.ल          प्राप्ति 12/2023</p>
<p>पत्रावली          12/08/23          Marked for          3/9/2023          Signed</p>	<p>पत्रावली 30/08/2023 (पत्रावली) सि.म          सि.म व/3 रा.डी.ल          प्राप्ति 12/2023</p>
<p>03/09/2023</p>	<p>पत्रावली 30/08/2023 (पत्रावली) सि.म          सि.म व/3 रा.डी.ल          प्राप्ति 12/2023</p>
<p>07/09/2023</p>	<p>पत्रावली 30/08/2023 (पत्रावली) सि.म          सि.म व/3 रा.डी.ल          प्राप्ति 12/2023</p>
<p>15/09/2023</p>	<p>पत्रावली 30/08/2023 (पत्रावली) सि.म          सि.म व/3 रा.डी.ल          प्राप्ति 12/2023</p>

पत्रावली 30/08/2023 (पत्रावली) सि.म  
 सि.म व/3 रा.डी.ल  
 प्राप्ति 12/2023

पत्रावली 30/08/2023 (पत्रावली) सि.म  
 सि.म व/3 रा.डी.ल  
 प्राप्ति 12/2023

पत्रावली 30/08/2023 (पत्रावली) सि.म  
 सि.म व/3 रा.डी.ल  
 प्राप्ति 12/2023

पत्रावली 30/08/2023 (पत्रावली) सि.म  
 सि.म व/3 रा.डी.ल  
 प्राप्ति 12/2023

पत्रावली 30/08/2023 (पत्रावली) सि.म  
 सि.म व/3 रा.डी.ल  
 प्राप्ति 12/2023

FORM No. III

फॉर्म प्रहकाम

(परच 26)

बन बदावत सहायक कलक्टर (द्वितीय) द्वारा सीकर  
जिला  
दिनांक 12/12/2013 \* प्राथमिक-पत्र \* का

वारीय दिवस	दिवस या कार्यवाही इतिहासक वक्त	संख्या व वारीय प्रहकाम को इस दिवस की सामील में वारी हुए
	<p>T.I. प्राण पर पूर्व में सुनी जा चुकी है। परवन्त बहम वकील जर्षी ने अपने शर्चना-पर में अंडित लब्धों को दोहराते हुए शर्चना-पर T.I. स्वीकार कर अशर्चना के तदोत्राने बाद T.I. से पाठक फरमान जाने का निवेदन किया।</p> <p>वकील जर्षी श्री बहम की जवाब में वकील अशर्चना ने अपने अपने जवाब पर में अंडित लब्धों को दोहराते हुए वकील जर्षी के शर्चना-पर T.I. के तत्पश्चात् फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>मेरे द्वारा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध पत्र राजस्व रेकर्ड का अवेकन किया गया एवं बहम वक्त पर ठमस पत्र पर सगौर मनन किया गया।</p> <p>शुद्धि शर्चना तदोत्राने शर्चना-पर T.I. में निवादिन आराजी की रेकर्ड खानेदार काश्तगर नहीं हैं; अतः प्रथम दुष्ट्या मामला शर्चना के पत्र में</p>	

(मुनेश कुमार SAs)  
सहायक कलक्टर (द्वितीय)  
सीकर

नासाबिन ठोकर, अशर्चना के

पक्ष में स्थापित होला है।

पुंछि पत्रावली पर राजस्व रेकर्ड  
के अनुसार कलजा भी विवादित  
आराजी पर अशर्षी का स्थापित  
एवं शर्षी का नारायण होला है।  
अतः अप्ररणीय क्षति का सिद्धांत भी  
अशर्षीगण के पक्ष में स्थापित होला है।

यदि उक्तानुसार काबिज एवं  
रेकर्ड जालेदार कारतदार के विरुद्ध  
आन्वर्षी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया  
जावे तो अप्ररणीय क्षति का सिद्धांत  
भी अशर्षी के पक्ष में ही स्थापित होला  
है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के  
आलोक में हस्तगत प्रार्थना - पत्रा. 2  
में T.I. जारी किये जाने के लिये  
महत्वपूर्ण सिद्धांत : -

- ① प्रथम दृष्टया मात्रा ② सुविधा का  
संतुलन ③ अप्ररणीय क्षति

अशर्षीगण के पक्ष में पक्ष  
जाने पर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत  
प्रार्थना - पत्रा T.I. खारिज किया  
जाता है। पत्रावली केवल शुभान  
होकर नम्बर से कस हो तथा

बाद तकमील दायित्व दफ्तार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15/09/2024

र व तारीख  
नाम जो इस  
की तारीख  
तारी हू

रा.के.मु.ज.-2014-15-10,00,000-2005

APP-A  
Form-I

FORM No. III


### फर्द ग्रहकाम

(नियम 26)

राज अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_

वनाम \_\_\_\_\_

किस्त मुकदमा \_\_\_\_\_ नं \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इतिवृत्त वत्र	नम्बर व तारीख ग्रहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर व्यापारकी मुद्रा सहित पुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">             (मुनेश कुमारी)            RAS            सहायक कलक्टर            (द्वितीय) सीक्रेट।            (मुनेश कुमारी R.A.S.)            सहायक कलक्टर (द्वितीय)            सीक्रेट         </p>	